वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां । अनेक संस्थाओं ने राजीव गांधी निधि (ना कि राजीव निधि) को दान दिया है । (ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न में उक्त निधि द्वारा प्राप्त किए गए दान का उल्लेख किया गया है।)

(ख) जून 1992 के अंत तक संस्थाओं सहित 203 व्यक्तियों से दान के रूप में कुल 10.77 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी ।

Abolition of Top level Posts

2002. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of Secretary and Additional Secretary level posts abolished so far;

(b) what is the number of other posts ablished so far in various Government Departments; and

(c) what is the amount of saving realised on account of abolition of these posts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) Seventeen posts of Secretary level and 6 posts of Additional Secretary level have been identified for abolition. Out of these, 5 posts of Secretary level and 2 posts of Additional Secretary level have already been abolished and the remaining posts would be abolished in a phased manner.

(b) Information received so far from the Miinstries/Departments reveal that about 1900 posts at various levels have been abolished.

(c) The saving on account of abolition of these posts is expected to be about Rs. 6 crores per annum.

उत्तर प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा दावा की गई बीमा राशि का भुगतान करने में विलम्ब किया जाना

2003. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जान-माल को नुकशान पहुंचाने के बावजूद भारतीय जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम और वित्त निगम बीमा की राशि का भुगतान नहीं कर रहें हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों से बीमे की राशि लंबित रहने के कितने मामले लंबित पडे हैं ; और

(घ) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जहां तक जीवन बीमा निगम का संबंध है, उत्तर प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान देय 11006 दावों में से निगम द्वारा 9722 मृत्यु संबंधी दावों का निपटान किया गया । उत्तर प्रदेश में, 2 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित पडे दावों की कुल संख्या केवल 55 है । ये मामले दावेदारों के बीच विवादों प्रतिविरोधात्मक दावों के कारण न्यायालय में चल रहे मामलों, दावेदारों, द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न किए जाने आदि कारणों से लंबित पड़े हैं ।

जहां तक, साधारण बीमा निगम का संबंध है, दावे संबंधी आंकडे राज्यवार नहीं रखे जाते हैं ।